बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

विभाग द्वारा इम्पेनेल्ड संस्थाओं के लिये आवश्यक सूचना

इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का विभिन्न तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु निजी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित की गई थी। उक्त आलोक में प्रथम,द्वितीय,तृतीय एवं चतुर्थ चरणों में बिहार राज्य के एवं अन्य राज्य के संस्थाओं का औपबंधिक रूप से Empanel किया गया है।

वैसे औपबंधिक रूप से Empanel संस्थायें जिन्होंने सिक्युरिटी मनी 5.00 लाख रू0 का डिमांड ड्राफट् विभाग में जमा किया है उनसे अनुरोध है कि वे विभाग द्वारा पटना में दिनांक– 10/8/2015 से 14/8/2015 तक आयोजित नामांकन–सह–ऋण मेला में भाग लें।

2– इस मेला का आयोजन 10.08.2015 से 14.08.2015 पूर्वाहन 10 बजे से अपराहन 5 बजे तक ***मिलर हाई स्कूल, पटना*** में किया गया है।

3– संबंधित संस्थान को एक–एक स्टॉल आवंटित की जायेगी।

4– संबंधित संस्थान द्वारा अपने संस्थान का बैनर आदि स्टॉल में लगायेंगे।

5– संस्थान को इसके लिए कोई भी राशि भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

6– संस्थान को प्रत्येक दिन हुए नामांकन की विवरणी मेले में उपस्थित विभाग के पदाधिकारी को उपलब्ध कराना एवं प्राप्ति रसिद प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

7– प्रत्येक संस्था से अधिकतम 2 प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।

8– छात्र/छात्रा के नामांकन लेते समय उनसे प्राप्त मुल प्रमाण पत्रों की प्राप्ति रसिद छात्र/छात्रा को संस्था के अधिकृत पदाधिकारी द्वारा संस्था के सील के साथ दिया जायेगा।

9– विधि व्यवस्था बनाये रखने में संस्था के प्रतिनिधि विभाग को सहयोग करेंगे।

10– दिनांक–14/8/2015 को 7.00 बजे अप0 में विभाग द्वारा मेला प्रांगण में आयोजित बैठक में सभी संस्था के प्रतिनिधि भाग लेकर आवश्यक दिशा निदेश प्राप्त करेंगे।

11– वैसे छात्र/छात्रा जिन्हें बैंक ऋण की आवश्यकता होगी उन्हें फार्म भरने में एवं अन्य आवश्यक सहयोग संस्थाओं द्वारा प्रदान किया जायेगा।

12–स्टॉल में टेबुल–कुर्सी, लाईट, पंखा, पीने का पानी,शौचालय, की व्यवस्था विभाग द्वारा की जायेगी।

13– मेला में छात्र/छात्रा अपने इच्छानुसार संस्था का चयन करेंगे इसलिए संस्था द्वारा अनावश्यक दबाब नहीं डाला जायेगा। किसी प्रकार का शिकायत प्राप्त होने पर संस्था पर आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई किया जायेगा।

14– वैसे छात्र/छात्रा जिन्होंने विभाग द्वारा आयोजित Conselling में भाग लिया है, वे इस मेला में भाग लेंगे। साथही वैसे छात्र/छात्रा जो छुट गये हैं वे भी मेला में भाग ले सकते हैं परन्तु उन्हें मेला में ही Conselling करायेंगे उसके बाद ही वे नामांकन ले सकेंगे।

अतः सभी संस्था से अनुरोध है कि वे मेला में भाग ले एवं मेला को सफल बनायें।

सरकार के सचिव

Letter Secretary